City	Numbers
Aurangabad	105
Vadodra	105
Tiruchi	80
Asansol	80
Mysore	105
Vijaywada	105
Cochin	210
Allahabad	190
Gwalior	105
Jamshedpur	80
Goa	105
Jammu	80
Meerut	105
TOTAL	32000

District Industries Centres

2260. SHRI K. VASUDEVA PANICKER: Will the Minister of INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of District Industries Centres in the country and the number of such centres in the State of Orissa;

(b) wheher the functioning of the District Industries Centres are reviewed by the Central Government from time to time;

(c) if so, whether the performance of the District Industries Centres has been found to be satisfactory; and

(d) if not, what steps are proposed to be taken by Government to streamline the functioning of these centres?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS (SHRI ARIF MOHD. KHAN): (a) There are 397 District Industries Centres covering 410 districts in the country. In Orissa State there are 13 DICs.

(b) Development Commissioner (Small Scale Industries) Monitors the programme.

(c) On the whole, Yes, Sir.

(d) Does not arise.

Lack of safety measures in Gujarat State Fertilizers Corporation

2261. SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Gujarat State Fertilizer Corporation situated near Baroda is facing a danger of "pollution explosion" or leakage of poisonous gases in several plants of the fertilizer complex;

(b) whether Government's attention have been drawn to "Gujarat Samachar" daily newspaper's report dated the 22nd July, 1985 regarding dangerous accidents likely to occur; and

(c) whether Government are also aware that Gujarat State Fertilizer Corporation Officers' Association has filed a writ petition regarding anticipated dangers arising out of inadequate or lack of safety measures in different plants in view of non-responsive attitude of the management?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI VEERENDRA PATIL): (a) to (c) Reports have appeared is the Gujarat press of allegations made in a writ petition filed before the Gujarat High Court by GSFC Officers' Association alleging *inter alia* that the GSFC plants near Baroda are unsafe and there is fear of dangerous accident taking place there which could affect other plants in the neighbourhood and that in spite of their representation, the Management have not taken suitable action etc.

Gujarat State Fertilizer Company Ltd. (GSFC) has, however, reported that the writ petition has been filed by a group of officers whose services had been terminated and the writ petition is not regarding the safety of the plants. They have also pointed out to the good safety record of the company and the various safety awards won by it from time to time; and that the company has highly qualified consultants on safety. They have refuted the allegations published in the Gujarat press.

कानूनी सलाह के लिये अधिवक्ता

2262. **श्री हुकमदेव नारायण यादव :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्पनी कार्य विभाग में कानूनी सलाह देने तथा अदालतों में मुकदमों की पैरवी करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिवक्ताओं की नियुक्ती की जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में कहां-कहां कितने अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है और उनकी फीस और अन्य सुविधाओं पर कुल कितना खर्च हुआ है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मौहम्मद खान) (क) कम्पनी कार्य विभाग, जहां भी आवश्यक होता है विधि मंत्रालय से कानूनी सलाह लेता है । उच्च न्यायालयों/सर्वोच्च न्यायालयों में मामलों (केसों) का प्रतिवाद करने के लिए विधि मंत्रालय की नामिका सूची से अधिवक्ताओं को लिया जाता है । कम्पनी रजिस्टरों द्वारा प्रस्तुत किये गये मामले, छोटे न्यायालयों में साधारणत: कम्पनी अभियोजकों द्वारा, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 624क के अन्तर्गत नियुक्त किये जाते हैं और जो सरकार के पूर्णकालिक अधिकारी हैं, संचालित किये जाते हैं । शासकीय समापकों द्वारा रखे गये अधिवक्ताओं को सम्बन्धित उच्च न्यायालयों के कम्पनी जज के अनुमोदन पर नियुक्त किया जाता है । जांच एवं पंजीकरण महानिदेशक द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के समक्ष मामलों को संचालित करने के लिए अधिवक्ताओं को विधि मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नामिका सूची से रखा जाता है ।

(ख) इस सूचना का संकलन करने में अत्यधिक समय लगेगा क्योंकि इसे सारे देश में फैले हुये विभिन्न कार्यालयों से एकत्र करना पड़ेगा जो सम्भवत: प्राप्त किये जाने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा । तथापि, किसी विशेष मामले में अगर माननीय सदस्य वस्तुत: इच्छुक है, तो, वह सूचना प्रस्तुत करदी जायगी ।

न्यायालय में नियुक्त अधिवक्ता

2263. **श्री हुकमदेव नारायण यादव :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अधिवक्ताओं की नियुक्ति करती है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय सभी जगहों पर अलग अलग नियुक्त किये गये अधिवक्ताओं की संख्या कितनी है ; और

(ग) उनमें हरिजन, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिला एवं पिछड़े वर्गों लोगों की संख्या कितनी है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) से (ग). अनेक मामलों में भारत संघ का उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में उन अधिवक्ताओं द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है जो या तो स्थायी काउंसेल होते है या जिनका नाम विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग द्वारा रखे गये पैनल में दर्ज होता है । इसके अतिरिक्त, रेल मंत्रालय और वित्त मंत्रालय जैसे अन्य प्रशासनिक मंत्रालय अधिवक्ताओं का अपना एक पैनल रखते हैं और कुछ मामलों में, प्रशासनिक मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग के अनुमोदन से, ऐसे काउन्सिलों